न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 31 सन 2019

अनवान :-

1. हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू।

प्रार्थी

बनाम

1. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 23.3.20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 328/351(47) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22/1.0120 , प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 कुल 3.7950हैक्‍ प0न0 327/352(58) किला न0 2/2 ,3/2 ,4/2 ,5/2 ,6 ता 8 ,13 ता 18 कुल 2.8330हैक्‍ व प0न0 328/352(59) के किला न0 1/1 ,2/2 ,3/2 ,8 ता 13 की 9.5750हैक्‍ भूमि जो हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट साकिन रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की निवास स्थान चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद दर्ज है जो गलत है प्रार्थी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू का रहने वाला है प्रार्थी का निवास स्थान गलत तोर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे संशोधन करवाना चाहता है।

प्रार्थी लम्बे समय से रेवासी तहसील तारानगर में निवास कर रहा है प्रार्थी सभी दस्तावेजात मुल निवास प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व मतदाता पहचान पत्र सभी में प्रार्थी का निवास स्थान रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू आंकेत है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत निवास स्थान अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं प्रार्थी को कानूनी अडचन आ रही एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 328/351(47) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22/1.0120 , प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 कुल 3.7950हैक्‍ प0न0 327/352(58) किला न0 2/2 ,3/2 ,4/2 ,5/2 ,6 ता 8 ,13 ता 18 कुल 2.8330हैक्‍ व प0न0 328/352(59) के किला न0 1/1 ,2/2 ,3/2 ,8 ता 13 की 9.5750हैक्‍ भूमि प्रार्थी की सकुनत चिलकनी ढाब के स्थान पर रेवासी तहसील तारानगर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी के पिता नाम राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना निस्तारण फरमावें।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 328/351(47) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22/1.0120 , प0न0 327/351(48) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 कुल 3.7950हैक्‍ प0न0 327/352(58) किला न0 2/2 ,3/2 ,4/2 ,5/2 ,6 ता 8 ,13 ता 18 कुल 2.8330हैक्‍ व प0न0 328/352(59) के किला न0 1/1 ,2/2 ,3/2 ,8 ता 13 की 9.5750हैक्‍ भूमि जो हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट साकिन रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू खातेदार काश्तकार दर्ज है।

(राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की निवास स्थान चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद दर्ज है जो गलत है प्रार्थी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू का रहने वाला है प्रार्थी का निवास स्थान गलत तोर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे संशोधन करवाना चाहता है।

प्रार्थी लम्बे समय से रेवासी तहसील तारानगर में निवास कर रहा है प्रार्थी सभी दस्तावेजात मुल निवास प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व मतदाता पहचान पत्र सभी में प्रार्थी का निवास स्थान रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू अंकित है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत निवास स्थान अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं प्रार्थी को कानूनी अडचन आ रही एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फव्वारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की सकुनत चिलकनी ढाब के स्थान पर रेवासी तहसील तारानगर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 रोही रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 654/555 की कुल 9.5750हैक भूमि में प्रार्थी हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट साकिन चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही निवास स्थान रेवासी तहसील तारानगर है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान चिलकनी ढाब दर्ज है जिसे संशोधन करवाकर चिलकनी ढाब के स्थान पर रेवासी तहसील तारानगर संशोधन करवाना चाहते है।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड मुल निवासी प्रमाण पत्र पेश किये है जिसमें प्रार्थी का निवासी स्थान रेवासी तहसील तारानगर दर्ज है ।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का निवासी स्थान रेवासी तहसील तारानगर होना प्रतित होता है प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, पेरोकार राज के जवाब प्रार्थी के शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 654/555 की कुल 9.5750हैक भूमि में प्रार्थी का निवास स्थान चिलकीन ढाब तहसील ऐलनाबाद अंकित है के स्थान पर रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23-3-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व).
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 878 14.7.20 दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 31 / 2019 अनवानी हरदयाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. हरदयाल पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 31 / 2019 अनवानी हरदयाल बनाम सरकार में दिनांक 23.3.20 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 654 / 555 की कुल 9.5750हैक भूमि में प्रार्थी का निवास स्थान चिलकीन ढाब तहसील ऐलनाबाद अंकित है के स्थान पर रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner